



भाकृअनुप: भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान  
ICAR: INDIAN INSTITUTE OF SOIL & WATER CONSERVATION  
(Indian Council of Agricultural Research)

अनुसंधान केंद्र, छत्तेसर-आगरा 282006 उ० प्र०

Research Centre, Chhalesar- AGRA-282006 (U.P.)

Phone : (O) 0562-6544599 , Mob. :, E-mail : [agra.cswcrti@gmail.com](mailto:agra.cswcrti@gmail.com)



पत्रसंख्या:-4(13)/ 3re/104

दिनांक :- 5 / 04 / 2022

नोटिस नीलामी

5-4-2022

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस केंद्र पर निम्नलिखित सरसों तारामीरा एवं भूषा का लोक/खुली नीलामी दिनांक : 26.05.2022 को समय 11.00 बजे होगा। सभी सज्जन नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। नीलामी होने वाले सामानों का विवरण निम्नलिखित है।

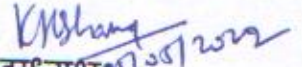
| क्रम संख्या | सामान नाम | मात्रा               |
|-------------|-----------|----------------------|
| 1           | सरसों     | 7.14 कुंटल           |
| 2.          | तारामीरा  | 8.92 कुंटल           |
| 3.          | भूषा      | 28.00 कुंटल के लग-भग |

नीलामी की शर्तें :-

नीलामी का विस्तृत विवरण इस केंद्र से जाना जा सकता है।

- नीलामी में भाग लेने वाले को नीलामी से पूर्व निम्नलिखित कागजात को नीलामी कमेटी के पास जमा करना आवश्यक होगा।
  - नीलामी में पंजीयन हेतु नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो की (Head, CSWCRTI, RC आगरा) के पक्ष में होगा।
  - बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पेज की जिसमें उनकी फोटो / नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपि।
  - बोलीदाता के आधार कार्ड की प्रतिलिपि।
- प्रस्तावित बोली बोलने वाले व्यक्ति अपनी बोली के पूर्व माल का निरीक्षण एवं सत्यापन कर सकते हैं। नीलामी के बाद किसी भी प्रकार का परिवाद (शिकायत) नहीं सुनी जाएगी।
- बोली के पूर्व बोली बोलने वाले को बयाने के रूप में रु.- 10,000/- जमा कराने होंगे।
- सफल बोली दाता को नीलामी सम्पन्न होने के तुरंत बाद केंद्र के खाते में (Head, CSWCRTI, RC आगरा) राशि ड्राफ्ट अथवा NEFT/RTGS द्वारा जमा कराना होगा।

5. सफल बोली बोलने वाले को खरीद की पूरी रकम का 50 प्रतिशत भाग बोली समाप्त होने के तुरंत बाद जमा करानी होगी, और शेष रकम बोली स्वीकार होने के एक सप्ताह के अंदर जमा करानी होगी। इसके पश्चात माल उठाने की इजाजत दी जाएगी। बेचा हुआ माल रकम जमा करने के पश्चात एक सप्ताह के अंदर उठाना होगा। इसका उल्लंघन करने पर जमा की गई रकम जप्त की जा सकती है।
6. सामान उठाने का समय प्रातः 10-00 बजे से सांय 17-00 बजे तक निर्धारित होगा रविवार या अन्य किसी भी छुट्टी के दिन सामान उठाने की आज्ञा नहीं दी जायेगी।
7. बोली स्वीकार होने के बाद ठेकेदार अपने सामान की देख रेख का स्वयं ही जिम्मेदार होगा। इस बारे में केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. ठेकेदार अनुसंधान क्षेत्र में उपरोक्त कार्य करने वाले कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा अन्य किसी भी आने की आज्ञा नहीं दी जायेगी और अपने प्रतिनिधि या कर्मचारी के किसी गलत कार्य अथवा अचूक के जिम्मेदार स्वयं होंगे।
9. प्रस्तावित बोली बोलने वाले को इन शर्तों के राजी होने के बाद इस परिपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
10. सफल बोली बोलने वाले ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि की लापरवाही से यदि अनुसंधान फार्म छलेसर की जायदाद को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस बारे में अदोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
11. नीलामी के समय दी गई दर एक सप्ताह के लिए मान्य होगा।
12. केंद्राध्यक्ष आगरा को बिना कोई कारण स्पष्ट किये नीलामी में भाग लेने वाले किसी भी व्यक्ति की बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

  
केंद्राध्यक्ष

प्रतिलिपि: AKMU, आईसीएआर-IISWC, २१८, कौलगढ़ रोड, देहारादून,  
आपके सूचनार्थ एवं, संस्थान के वेब साइट पर upload करने हेतु।  
प्रभारी अधिकारी, (भंडार), आईसीएआर-IISWC, २१८, कौलगढ़ रोड,  
देहारादून, आपके सूचनार्थ एवं, CPPP पर upload करने हेतु।